(29)

<u>न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर (म0प्र0)</u>

R 718-II/07

श्री ... द्वारा आज दि० 19-4-07 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक ....

1. सावित्री देवी पत्नी स्व. श्री भैयालाल सिंह
2. हीरामणि सिंह तनय स्व. श्री भैयालाल सिंह
3. भोले सिंह तनय स्व. श्री भैयालाल सिंह
4. दिनेश सिंह तनय स्व. श्री भैयालाल सिंह
5. परमील सिंह तनय अजमेर सिंह

सभी निवासी ग्राम-नौगवां धीर सिह, तहसील-गोपद बनास, जिला-सीधी (म0प्र0)

--------आवेदकगण/निगरानीकर्तागण

बनाम

1. शत्रुराज सिंह तनय बाल्मीक सिंह
2. कमलेश्वर सिंह तनय रामराज सिंह

दोनों निवासी ग्राम-नौगवां धीर सिंह, तहसील-गोपद बनास, जिला-सीधी (म0प्र0)

------अनावेदकगण/गैर निगरानीकर्तागण

पुनरीक्षण विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा के राजस्व अपील क्रमांक 500/अपील/2001-02 में पारित आदेश दिनॉक 21.03.07 ।

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 ।

19-4-07

मान्यवर,

आवेदकगण की ओर से निम्नॉकित आधारों पर पुनरीक्षण प्रस्तुत है :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 713–दो/07 जिला–सीधी

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17–3–17	आवेदकगण के अभिभाषक श्री आर0डी0 शर्मा उपस्थित। अनावेदक अभिभाषक श्री डी0एस0 चौहान उपस्थित। 2/ आवेदकगण के अभिभाषक ने आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्र0क्र0 500/अपील/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 21.03.2007 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ आवेदकगण के अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि प्रक्रिया एवं न्याय सहज सिद्धांतों के प्रतिकूल आदेश पारित किया है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया कि अविवादित रूप से तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण द्वारा संहिता की धारा 116 के अधीन इस अभिवचन के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था कि उनके नाना स्व0 कुईसू सिंह का आवेदित भूमियों पर कब्जा दखल था । उनके नाम कब्जे काश्त की प्रविष्टि वर्ष 1976–77 से 1984–85 तक की जाती थी, किन्तु कुईसू सिंह की मृत्यु के उपरांत उक्त भूमियां उन्हें वसीयतनामा में प्राप्त होने से उनके कब्जे काश्त विषयक खसरा सुधार कराया जाये। अतः अब यह स्पष्ट है कि अनावेदकगण के द्वारा कब्जे की नवीन प्रविष्टि किये जाने हेतु याचना की गई थी, क्योंकि पूर्व के वर्षों में कभी भी उनका कब्जा दर्ज नहीं	

था बल्कि वसीयतनामा के आधार पर कब्जे को उत्तराधिकार में प्राप्त होना लेख किया गया था। वस्तुतः प्रकरण का पंजीयन धारा 116 के अधीन किया गया था। संहिता की धारा 116 के अधीन केवल ऐसी त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि के सुधार हेतु आवेदन पत्र दिया जा सकता है जो धारा 114 के अधीन निर्मित भू–अभिलेखों में हुई हो। उक्त त्रुटि के शुद्धिकरण हेतु ऐसी प्रविष्टि के दिनांक से एक वर्ष के भीतर ही ऐसा आवेदन पत्र प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र अप्रचलनशील था। ऐसे आवेदन पत्र पर न तो खसरा सुधार किया जा सकता था और न ही खसरे में नई प्रविष्टि के अस्तित्व का सृजन ही किया जा सकता था और उपरोक्त विधिक आधारों पर ही प्रथम अपील में तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त किया गया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील को स्वीकार करने में विधि की अनदेखी की गई है। अंत में आवेदिका के अधिवक्ता द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक ने तहसील न्यायालय में कब्जा दर्ज किये जाने का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर पटवारी ने मौके का स्थल निरीक्षण किया। मौका निरीक्षण के दौरान अनावेदक का कब्जा सूची में भी अनावेदक को काबिज दाखिल बताया गया है। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का अवलोकन किया। जिसमें अनुविभागीय अधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है कि मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 116 के तहत एक वर्ष के अंदर हुई त्रुटि को सुधारा जा सकता है, लेकिन राजस्व अभिलेखों को अद्यतन रखना शासन का दायित्व है। यदि शासन के द्वारा ऐसी कार्यवाही

नहीं की गई तो किसी व्यक्ति के आवेदन पत्र पर कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत है जिसे समयसीमा में नहीं बांधा जा सकता है और संहिता की धारा 32 के अंतर्गत भी कार्यवाही की जा सकती है, जैसा कि 1995 राजस्व निर्णय 366 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि राजस्व अभिलेखों को अद्यतन रखने की जिम्मेदारी राजस्व अधिकारी की है तथा संहिता की धारा 121 के अंतर्गत पटवारी खेत पर जाकर मौके की वस्तुस्थिति के अनुसार कब्जा दर्ज करेगा । विचारण न्यायालय ने प्रकरण की पूर्ण विवेचना कर आदेश पारित किया है। अनुविभागीय अधिकारी ने मात्र तकनीकी आधार पर आवेदकगण की अपील को स्वीकार करने की भूल की और इसी स्तर पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया गया है, जो उचित निर्णय है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.03.2007 विधिनुकूल एवं न्यायसंगत होने से यथावत रखा जाता है । पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो ।

(एस0एस0अली)
सदस्य